ORIGINAL RESEARCH PAPER

Arts

भारत में वित्तीय समावेशन तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

KEY WORDS:

Abhishek Anand

District Mission Manager (MF & FI), District Mission Management Unit, Uttar Pradesh State Rural Livelihood Mission, (UPSRLM), National Rural Livelihood Mission (NRLM), Vikash Bhawan, Ballia (U.P.) 271001.

भूमिका

वित्तीय समावेशन का मतलब समाज के पिछड़े एवं कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना है। इसके साथ ही ये सेवाएँ उन लोगों को वहन करने योग्य मूल्य पर मिलनी चाहिए। कुछ प्रमुख वित्तीय सेवाएं हैं - ऋण, भुगतान और धनप्रेषण सुविधाएं और मुख्यधारा के संस्थागत खिलाड़ियों द्वारा उचित और पारदर्शी ढंग से वहनीय लागत पर बीमा सेवा। किसी भी देश के आर्थिक विकास का मुख्य आधार है उस देश का बुनियादी ढाँचा होता है। यदि बुनियादी ढाँचा ही कमज़ोर हो तो कितना भी प्रयास किया जाए व्यवस्था को मज़बूत नहीं बनाया जा सकता है। यही कारण है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विकास एवं उन्नति हेतु किये जाने वाले प्रयासों को बल प्रदान करने के एक लिये नीति निर्माताओं द्वारा एक ऐसे मार्ग का अनुसरण किया जाता है जिसके माध्यम से सरकार आम आदमी को अर्थव्यवस्था के औपचारिक माध्यम में शामिल कर सके। वस्तुतः यही कारण है कि 'वित्तीय समावेशन' के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी आर्थिक विकास के लाभों से संबद्ध किया जा सके, कोई भी व्यक्ति आर्थिक सुधारों से वंचित न रहे। इसके तहत देश के प्रत्येक नागरिक को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल करने का प्रयास किया जाता है। ऐसा इसलिये किया जाता है, ताकि गरीब आदमी को बचत करने के साथ-साथ विभिन्न वित्तीय उत्पादों में सुरक्षित निवेश करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।

- **वित्तीय समावेशन की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम**
- हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के वित्तीय समावेशन पर विशेष बल देने के लिये केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गए हैं।

जन-धन योजना

- बैंकिंग सेवाओं की पहुँच में वृद्धि करने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि सभी परिवारों के पास कम से कम एक बैंक खाता हो, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 15 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री जन-धन योजना नामक एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन की घोषणा की गई।
- इस योजना को 28 अगस्त, 2014 को औपचारिक रूप में शुरू किया गया।

  अगस्त, 2017 के मध्य तक इस योजना के अंतर्गत तकरीबन 29.48 करोड़ बैंक खाते खोले गए, जो अपने-आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
- ग्राहक को एक रुपे (RUPAY) डेबिट कार्ड ज़ारी किया जाता है जिसमें 1लाख रुपये का बीमा कवर होता है।
- इसके अतिरिक्त, खाते को छः महीने तक संतोषजनक रूप में संचालित करने पर ग्राहक को 5,000 रुपए की ओवर ड्राफ्ट सुविधा भी प्रदान की जाती है।

बीमा और पेंशन स्कीम

- सभी नागरिकों और विशेषकर गरीब एवं सुविधा रहित लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की गई।
- पूर्व की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीआई) में 18 से 70 वर्ष के आयु समूह को कवर किया गया था, जबकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष के आयु समूह के उन सभी लोगों को कवर किया गया है, जिनके पास बैंक खाते मौजूद हैं।
- यह योजना केवल 12 रुपए वार्षिक के वहनीय प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का जोखिम कवर प्रदान करती है।

अटल पेंशन योजना

- इस योजना को वर्ष 2015 में 18 से 40 आयु वर्ग के सभी खाताधारकों के लिये शुरू किया गया था।
- इस स्कीम के अंतर्गत अभिदाता को मासिक पेंशन की गारंटी प्रदान की जाती है।
- इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा भी कुल अंशदान के 50 प्रतिशत का योगदान किया जाता है, बशर्ते कि यह 1000 रुपए प्रतिवर्ष से अधिक न हो।

वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना

- वे सभी अभिदाता जिन्होंने 15 अगस्त, 2014 से 14 अगस्त, 2015 तक वी.पी.बी.वाई. में अभिदान किया है, उन्हें 9 प्रतिशत का सुनिश्चित गारंटी रिर्टन प्रदान किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

- इस योजना को गैर-कारपोरेट लघु व्यापार क्षेत्र को औपचारिक वित्तीय सुविधाएँ प्रदान करने के लिये अप्रैल 2015 में शुरू किया गया।
- इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के गैर वित्तपोषित क्षेत्र को प्रोत्साहित करना एवं बैंक वित्तपोषण सुनिश्चित करना है।

इसके अतिरिक्त देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिये और भी बहुत सी योजनाओं को शुरू किया गया, जिनमें जीवन सुरक्षा बंधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सामान्य क्रेडिट कार्ड और भीम एप जैसी योजनाएँ शामिल हैं।

- **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन**

भारत में महिला सशक्तिकरण एव उनके आजीविका संवर्धन हेतु प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन से वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में विशेष बदलाव आया है | बडे स्तर की परियोजनाओं

से मिले अनुभव बताते हैं कि समाज के संवेदनशील समूहों और गरीबों को कर्ज के जाल से मुकित दिलाने के लिए, उनकी जरुरतों को पूरा करने के लिए तथा आजीविका संबंधी संपतितयों में निवेश करने के लिए उन्हें किफायती दरों पर बार बार वित्तीय सुविधा दिलाना और उनकी सुविधानुसार भुगतान की शर्त तय करना महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योग्यता मानदंडों के आधार पर गरीब महिलाओ की संस्थाओं (SHGs) को वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद के लिहाज से वित्तीय सहयोग देता है ताकि उनकी खपत की और आजीविका बढाने में निवेश, दोनों के लिए ऋण संबंधी जरूरतें पूरी हो सकें। यह राशि अंततः गरीब लोगों की संस्थाओं के लिहाज से पूंजी संसाधन का काम करती है। आर्थिक सहायता में सबसे गरीब और सबसे कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है। बड़े स्तर पर इस राशि का इस्तेमाल स्वयं सहायता समूहों को उनकी आजीविका तथा अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से वित्तीय सहायता देने के लिए आगे उधार देने में किया जा सकता है। प्रत्येक राज्य आजीविका-एनआरएलएम के क्रियान्वयन की रूपरेखा के तहत दिशानिर्देशों के दायरे में निर्धन लोगों की संस्थाओं को वित्तीय सहायता के तौर..तरीके तय करेगा।

आजीविका-एनआरएलएम ग्रामीण निर्धन जनता को उधार मुहैया कराने के मकसद से कम ब्याज दरो पर बैंक ऋण उपलब्ध करवाता है | इसके अतिरिक्त परिक्रमी निधि तथा सामुदायिक निवेश निधि के माध्यम से भी निर्धन परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है | बैंक से प्राप्त ऋण का नियमित भुगतान करने पर स्वयं सहायता समूहों को ब्याज में अनुदान की निति भी सरकार द्वारा लागु की गयी है ताकि वे अपने बचत को सही से निवेश कर सकें।

स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों के लिए बचत खाते खोलने में, बचत जमा करने में, ऋण देने समेत अन्य सुविधाओं में बैंकों की भूमिका अहम है। आजीविका-एनआरएलएम कई स्तर पर बड़े बैंकों और बीमा कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी विकसित कर रहा है ताकि बैंकों, बीमा कंपनियों और गरीबों के बीच आपसी रिश्ते बन सकें । मांग के स्तर पर आजीविका-एनआरएलएम सुनिशिचत करेगा कि सभी स्वयंसहायता समूहों के क्षमता निर्माण में वित्तीय साक्षरता, बचत, उधार तथा बीमा पर परामर्श सेवाएं तथा सूक्ष्म निवेश की योजना पर भी कार्य कर रहा है।

गरीब ग्राहकों को मिलने वाली बैंकिंग तथा बीमा संबंधी सुविधाओं में सुधार के लिए बैंकों में "बैंक मित्र" तैनात किये जा रहे है । बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी की भी तैनाती की योजना पुरे देश में चल रही है| उत्तर प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा तो इसके चयन की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गयी है | वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में दींन दयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एक मिल का पत्थर साबित हो रहा है |